(ख) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों ने बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक लाभ कमाया है और अधिक औद्योगिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देकर उसका और अधिक विकास करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) जी, हां । सरकार इस धारणा के समर्थन में कि लघु क्षेत्र बड़े क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन कर रहा है, लघु क्षेत्र के लाभ के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है । तथापि, उत्पादन की विकास दर की दृष्टि से लघु क्षेत्र ने 80 के दशक के दौरान बड़े क्षेत्र की तुलना में लगातार बेहतर कार्य निष्पादन किया है ।

(घ) और (ङ) लघु, अति लघु तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के उपायों का उल्लेख 6 अगस्त, 1991 को सरकार द्वारा घोषित नीति सम्बन्धी पैकेज में किया गया है ।

आई०एस०आई० चिह्न का दुरुपयोग

*223. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कम्पनियां भारतीय मानक संस्थान से कोई अनुमोदन प्राप्त किए बिना अपने उत्पादों पर आई०एस०आई० मार्क लगाकर उन्हें बाजार में बेच रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन उत्पादों के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ग) अभी तक इस प्रकार के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि आई०एस०आई० मार्क प्राप्त कर लेने के बाद, कुछ उत्पादों का स्तर गिरा दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) ऐसे कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं ।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 34 में सरकार को ऐसे विनिर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पहले ही शक्ति दी गई है ।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार के ध्यान में 12 मामले लाए गए थे । इनमें से चार मामलों में कानूनी कार्रवाई आरंभ की गई है । शेष मामलों में जांच कार्य चल रहा है ।

(घ) और (ङ) लाइसेंसधारियों के कारखानों की समय-समय पर अचानक जांच की जाती है और उनके उत्पादों का परीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानकों के अनुरूप हों । यदि मानकों के अनुरूप न होने अथवा लाइसेंस में निहित शर्तों के उल्लंघन के किसी मामले का पता चलता है तो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जिसमें यदि आवश्यकता हो तो चिन्ह का प्रयोग करने पर रोक लगाना और लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है ।